

# मादक द्रव्य व्यसन का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

नीरज कुमार राय

सहायक प्रोफेसर (समाजशास्त्र)

राजकीय महिला महाविद्यालय, ढिंडुई, पट्टी (प्रतापगढ़)

**सारांश :** मादक पदार्थों का उपयोग पुरातन समय से ही विविध रूपों में हो रहा है। मादक पदार्थों की उपयोगिता स्वास्थ्य समस्याओं के निराकरण में लंबे समय से रही है लेकिन आजकल इसका प्रयोग बहुधा व्यसन या लत के रूप में होने लगा है। व्यक्ति निजी कारणों से इसका प्रयोग अत्यधिक मात्रा में करने लगा है और एक तरह से वह इसका आदि हो गया है। व्यसनी होने के कारण व्यक्ति का निजी और सामाजिक परिवेश दूषित हो गया है और वह विघटन का शिकार हो गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में विविध पक्षों का विश्लेषण किया गया है और यह द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। प्रस्तुत शोध पत्र मादक द्रव्य व्यसन का समाजशास्त्रीय विश्लेषण है।

**मुख्य शब्द -** मादक द्रव्य, कोकीन, नवनिर्माण में बाधक, रूग्णता, आत्महत्या

मादक द्रव्यों की लत के अभिशाप से विश्व का कोई भाग अछूता नहीं है। मादक द्रव्यों का दुरुपयोग एक गम्भीर चिंता के रूप में सामने आया है जो देश के भौतिक एवं सामाजिक कल्याण को प्रभावित कर रहा है। इसका प्रभाव समाज के विविध वर्गों के स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। भारत में युवा पीढ़ी में मादक द्रव्यों के दुरुपयोग का रोग अप्रत्याशित ढंग से बढ़ा। आधुनिक समय के जीवन के तनाव ने व्यक्ति को मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की समस्या की ओर उन्मुख कर दिया है। शराब एवं मादक द्रव्यों की लत से न केवल सेवन करने वाले व्यक्ति बल्कि परिवार एवं समाज को भी बहुत ही प्रभावित करता है। मादक पदार्थों का विभिन्न रूपों में सेवन प्राचीन काल से ही भारत एवं विश्व के अनेक देशों में होता रहा है। मनुस्मृति और वैदिक ग्रंथों में सामाजिक एवं धार्मिक अवसरों पर सुरा, धतूरा, भांग, गांजा आदि मादक पदार्थों के सेवन का उल्लेख मिलता है। मादक पदार्थों के अंतर्गत भांग, गांजा, हसीस, हेरोइन, चरस, स्मैक, अफीम, कोकीन आदि आते हैं। उक्त पदार्थों के सेवन अर्थात् मादक द्रव्य व्यसन की समस्या आज पूरे समाज को खोखला कर राष्ट्र के नवनिर्माण में बाधक बन रही है।

मादक द्रव्य व्यसन का तात्पर्य है मादक पदार्थों पर शारीरिक निर्भरता अर्थात् मादक पदार्थों के सेवन न करने की स्थिति में शरीर में दर्द, बेचैनी, रूग्णता आदि महसूस होना। दूसरे शब्दों में मादक द्रव्य व्यसन वह दशा है जिसमें शरीर को कार्य करते रहने के लिए मादक पदार्थों के सेवन की निरन्तर आवश्यकता महसूस होती रहती है। आज मादक पदार्थों का सेवन उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र-छात्राओं द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति की चकाचौंध में खोये परिवारों द्वारा विभिन्न अवसरों पर नशा करना शिष्टाचार और जीवन शैली का प्रतीक बन गया है। एक तरफ संसार से ऊबे हुए लोग चिन्तामुक्त एवं स्वच्छन्द जीवन जीने की लालसा में मानसिक शांति हेतु मादक पदार्थों का सेवन करते हैं तो दूसरी ओर युवा पीढ़ी प्रतियोगिता की कठिनता, सपनों का टकराव, पाठ्यक्रमों की नीरसता, अंदर ही अंदर कसकते-सिसकते तनाव से मुक्त एवं कल्पनाओं के स्वप्निल संसार में खोने की अदम्य लालसा के कारण नशीली दुनिया में प्रवेश करती है। साथ ही कुछ लोग प्रारम्भ में इनका सेवन औषधीय रूप में, निद्रा लाने व दर्द निवारक के रूप में, चिन्ता, तनाव, कुन्ठा, उदासी आदि दूर करने के लिए, जिज्ञासा शान्त करने के लिए, असफलता मिलने पर हीन भावना दूर करने के लिए, मित्रता के दबाव में, पारिवारिक सदस्यों के अनुकरण में, थकान मिटाने व मौज-मस्ती आदि के उद्देश्य से भ्रमवश करते हैं। फलस्वरूप व्यक्ति मादक पदार्थों के शिकंजे में धीरे-धीरे फंसता चला जाता है।

मादक पदार्थों के सेवन के फलस्वरूप न केवल विभिन्न प्रकार की शारीरिक व्याधियां पैदा होती हैं अपितु व्यक्ति, परिवार व समाज के विघटन के साथ-साथ अपराधों की वृद्धि व पुलिस-प्रशासन और व्यवस्थाओं की समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। लम्बे समय तक अधिक मात्रा में नशीले पदार्थों के सेवन से शरीर निष्क्रिय व कमजोर हो जाता है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है एवं विभिन्न प्रकार के प्राणघातक रोग पैदा हो जाते हैं। शारीरिक दुष्प्रभावों के साथ-साथ मानसिक क्षमता का भी हास होने लगता है व व्यसनी, क्रोधी, चिड़चिड़ा होने के साथ-साथ अपनी अपनी भावनात्मक बौद्धिक शक्ति के खो देता है। व्यसनी की कार्यक्षमता बुरी तरह से कम होने लगती है। आय का अधिकांश भाग नशे की भेंट चढ़ जाता है। फलतः अनेकों प्रकार की समस्याएं यथा अपराध, दुर्घटना, आत्महत्या आदि का ग्राफ बढ़ जाता है।

ड्रग एवं सामान्य लोगों में मादक द्रव्यों के सेवन पर अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय 2018 सर्वेक्षण के अनुसार बुजुर्ग लोगों की अपेक्षा युवाओं में मादक द्रव्य का सेवन अधिक है। यद्यपि अफ्रीम एवं खात जैसे मादक द्रव्यों के पारम्परिक सेवन इसके अपवाद रहे हैं। ज्यादातर अनुबंधान कर्ता सलाह देते हैं कि किशोरों में (12-14 वर्ष) तथा (15 से 17 वर्ष) मादक द्रव्यों के सेवन के ज्यादा करने खतरे की अवधि रहती है तथा 18-25 वर्षों के युवाओं में इसका सेवन चरम पर होता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के हाल में भारत में मादक द्रव्यों के सेवन की सीमा एवं पैटर्न पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मादक द्रव्यों का उपयोग की मात्रा निम्नानुसार है:

- 10 से 75 वर्षों के बीच के 16 करोड़ लोग (14.6%) अलकोहल के चालु उपयोग कर्ता हैं जिसमें से 5.2% अलकोह आश्रित हैं।
- करीब 3% करोड़ लोग (2.8%) भांग उपयोग कर्ता हैं तथा 72 लाख लोग भांग उपयोग की समस्याओं से पीड़ित हैं।
- कुल मिलाकर ओपियड उपयोग कर्ता 2.06% हैं तथा करीब 0.55% (60 लाख) लोगों को उपचार/स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता है।
- वर्तमान में सिडेटिव के 1.18 करोड़ (1.08%) उपयोग कर्ता हैं (गैर चिकित्सीत उपयोग)।
- नवजवान 0.58% निष्क्रिय उपयोग कर्ता की तुलना में बच्चों एवं किशोरों यह प्रतिशत 1.7 है।
- यह अनुमान है कि करीब 8.5 लाख लोग ड्रग की सूई लेते हैं।

मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के वृहद प्रसार से बच्चों को संरक्षित करना भारत द्वारा सामना की जाने वाली सबसे बड़ी नीतिगत चुनौतियों में से एक है। सरकारी एवं प्राइवेट दोनों एजेंसियों की हाल की रिपोर्ट दर्शाती है कि नवजवान बच्चों में मादक द्रव्यों के सेवन एवं दुरुपयोग के प्रचलन में वृद्धि हुई है। बच्चों को ध्यान में रखते हुए मादक द्रव्यों के सेवन के खतरों तथा प्रचलित सहकर्मियों एवं सामाजिक दबावों के विरुद्ध प्रतिरोधों को विकसित करते की आवश्यकता है। भारत में साक्षरता की दर कम होने के कारण लिखित जानकारी की अपेक्षा नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, चलचित्रों एवं टीवी आदि के माध्यम से इससे होने वाले बुरे प्रभाव को प्रदर्शित किया जाना चाहिए, साथ ही नशा करने वाले व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, लिंग, धार्मिक विश्वास, उपसंस्कृति एवं पारिवारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इन उपायों को अपनाया जाना चाहिये। शिक्षा देने के लक्षित समूहों में कॉलेज, विश्वविद्यालयों के युवा छात्रों, छात्रावासों में रहने वाले छात्रों, कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों, औद्योगिक श्रमिकों, ट्रक चालकों एवं रिक्शा चालकों को अधिक सम्मिलित किया जाना चाहिए। मादक पदार्थों के सेवन की रोकथम का एक महत्वपूर्ण उपाय वैधानिक प्रयास है। ब्रिटिशकाल में 1893 सर्वप्रथम रायल आयोग का गठन कर मादक पदार्थों के सेवन की समस्या की रोकथम का कदम उठाया गया। सरकार द्वारा 1985 में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथम के लिए 'द नारकोटिक, ड्रग्स व साइकोट्रापिक सब्सटेंसिज एक्ट' बनाकर 14 नवम्बर 1985 से लागू किया गया। जिसके उलंघन पर कठोर कारावास एवं जुर्माना दोनों को निर्धारित किया गया है। इस कानून की सफलता के लिए नियमों का कठोरता से पालन करने के साथ मादक पदार्थों का व्यापार करने वाले व्यक्तियों तस्करों एवं षड़यंत्रकारियों को पकड़ने में जनता का सहयोग भी लिया जा सकता है। इस अंतर्राष्ट्रीय समस्या को बढ़ने से रोकने के लिए स्थानीय निकायों को मजबूत बनाना होगा एवं इसके क्रय विक्रय को पूर्ण रूप से रोकना अनिवार्य करना होगा। व्यसन को रोकने में चिकित्सकों की अहम् भूमिका होती है। बाजार में मिलने वाली नींद की दवाइयों, अवसाद विरोधी दवाइयों, दर्दनाक दवाइयों और खांसी की दवाइयों में पाये जाने वाले पदार्थ कुछ समय तक नियमित सेवन से व्यक्ति को लती बना देते हैं। अतः द्रव्यों के औषध निर्देश देने सम्बन्धी अभिवृत्तियाँ सकारात्मक होनी चाहिये, अर्थात् चिकित्सक को यह स्पष्ट रूप बताना चाहिये कि रोगी द्रव्यों के अतिरिक्त प्रभावों की अवहेलना नहीं करे एवं बिना चिकित्सकीय परामर्श के दवा लेने में सतर्कता बरते। शिक्षा और चिकित्सा के समान व्यसन की रोकथम में विभिन्न सामाजिक समूहों के सहयोग की अवहेलना नहीं की जा सकती। सामाजिक उपायों में परिवार नातेदार, मित्र और स्वैच्छिक संगठन सम्मिलित हैं। माता-पिता की उपेक्षा, अधिक विरोध व वैवाहिक

असामंजस्य व्यक्ति को व्यसन की ओर ले जानेवाले प्रमुख कारण हैं। अतः माता-पिता को चाहिये कि वे पारिवारिक पर्यावरण को अधिक सामंजस्यपूर्ण बनाए रखने का प्रयास करें जिससे कम से कम बच्चे घर के बाहर रहकर मादक पदार्थों के सेवन के लिए प्रेरित नहीं होंगे। माता-पिता को बच्चे के असामाजिक व्यवहार तथा विपथगामी व्यवहार जैसे अध्ययन व अभिरूचियों आदि क्रियाओं में कम रूचि, गैर जिम्मेदार व्यवहार, चिड़चिड़ापन, आवेगी व्यवहार, व्यग्रता, घबराहट की मुखाकृति आदि को देखकर कारणों का पता लगाना चाहिये। यदि माता-पिता सामाजिक और नैतिक प्रतिमानों की पालना करें तो बच्चा भी अवश्य करेगा। अतः सामाजिक सुरक्षा, परिवार के निर्णयों में शामिलकर सामाजिक पर्यावरण को स्नेहपूर्ण बनाकर भी व्यसन की स्थिति को रोका जा सकता है। शिक्षा जागरूकता सृजन ड्रग आश्रित व्यक्तियों की पहचान, काउन्सेलिंग, उपचार एवं पुनर्वास करना तथा सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण करना है।

इस सन्दर्भ में राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है उसे एन.ए.पी.डी.डी.आर. की क्रिया कलापों को कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। एन.पी.डी.डी.आर. के अन्तर्गत एन.आई.एस.डी की क्रिया कलापों में से एक प्रमुख कार्य विभिन्न लक्षित समूहों को ऑरियेंटेशन एवं क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करसमस्या के समाधान हेतु क्रियान्वित किए जा सकने योग्य उपायः

- 1 मादक द्रव्यों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए तथा मादक द्रव्यों की उपलब्धता की निगरानी व उस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए।
- 2 नशे के प्रति संवेदनशील युवाओं हेतु नशामुक्ति और परामर्शी केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए।
- 3 सकारात्मक विकल्पों जैसे कि खेलकूद संबंधी क्रियाकलापों में भाग लेना, संगीत सीखना आदि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि युवाओं को रचनात्मक क्रियाओं में संलग्न किया जा सके।
- 4 निवारक शिक्षा, जागरूकता सृजन तथा प्रभावित व्यक्तियों का उपचार और पुनर्वास जैसी एक बहु-आयामी रणनीति अपनायी जानी चाहिए।
- 5 मादक द्रव्यों से संबंधित विधानों, अधिनियमों और कार्यक्रमों की प्रभावकारिता के विषय में जानने हेतु विश्वसनीय सर्वेक्षण एवं प्रभाव आकलन अध्ययन सम्पादित होने चाहिए।
- 6 विद्यालयों और महाविद्यालयों जैसे शैक्षणिक संस्थानों की सहायता से मादक द्रव्यों के प्रयोग के दुष्परिणामों के संदर्भ में विद्यार्थियों के मध्य जागरूकता का सृजन करना चाहिए तथा इस संबंध में सेमिनारों का नियमित रूप से आयोजन किया जाना चाहिए।
- 7 नशे को कलंक के रूप में प्रस्तुत न करने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए ताकि युवाओं में हेल्पलाइन नम्बरों एवं नशामुक्ति और परामर्शी केन्द्रों से सहायता प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो सकता है। इसमें स्कूल एवं कॉलेज के छात्र एवं शिक्षक, जेलों के कर्मचारी, पुलिस सुधार संस्थान एवं बाल संरक्षण संस्थान पी.आर.आई.एन.वाई के एवं एन.एस.एस. आदि शामिल हैं ताकि मादक द्रव्य दुरुपयोग संबंधी मुद्दों पर कार्य करने के लिए प्रभावी अन्तः क्षेप मोडुल्स का निर्माण किया जाए तथा रणनीति बनाया जाए तथा सेवा डिलिवरी में गुणात्मक सुधार लाया जाए।

एन.ए.पी.डी.डी.आर. का मूल आधार सर्वभौमिक निवारक उपायों को प्रदान करता है जो मादक द्रव्यों के सेवन पर रोक या विलम्ब करने के उद्देश्य से संदेशों एवं कार्यक्रमों के द्वारा पूरी जनसंख्या को संबोधित करता है। यह प्रयास लोगों के अपने सेटिंग में मादक द्रव्यों के उपयोग की समस्या को रोकने के लिए अपेक्षित सूचना एवं कौशल सूलभ करकर मादक द्रव्यों के सेवन की शुरुवात को रोकेगा। इस प्रकार उपरोक्त प्रयासों के द्वारा एन.ए.पी.डी.डी.आर के निम्न लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है:

1. व्यक्ति, परिवार, कार्यस्थल तथा पूरे समाज में मादक द्रव्यों के सेवन गलत प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करता तथा शिक्षित करना तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए उनके कलंक तथा मादक द्रव्यों पर आश्रित समूहों एवं व्यक्तियों के बीच विभेद को कम करना।
2. इन उद्देश्यों के लिए कार्य करने हेतु मानव संसाधन को विकसित करना तथा उनकी क्षमता को निर्माण करना
3. उद्देश्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रलेखन, अन्वेषण तथा महत्वपूर्ण सूचनाओं को सग्रहण सुलभ करना
4. नशेड़ियों की पूरी तरह ईलाज के लिए पहचान, अभिप्रेरणा, काउन्सेलिंग, डी.एडिक्शन, आफ्टरकेयर तथा उनके पुनर्वास हेतु समग्र समुदाय आधारित सेवाएं प्रदान करना ।

मादक द्रव्य दुरुपयोग निवारण के क्षेत्र में एन.सी.डी.ए.पी. की मुख्य क्रियाकलाप निम्न है:

- मादक द्रव्य मांग कमी करने के क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के विविध स्तरों की क्षमता निर्माण
- सूचना का नवीनीकरण तथा समुचित डेटा बेस एवं मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना।
- स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सब्सटेंस डिमाण्ड रिडक्शन के क्षेत्र में लिकेज का विकास, एडवोकेश सुलभ करवाना तथा नेटवर्किंग सुविधा का विकास करना
- घटना के नियंत्रित करने के लिए निकट के शिक्षान हेतु कार्यक्रम विकसित करना तथा मादक द्रव्य एवं एल्कोहल दुरुपयोग के बरे प्रभावों के बारे में जानकारी का प्रसार करना,

**निष्कर्ष :** तथ्यों से यह सपष्ट है की भारत मे द्रव्य व्यसन की समस्या भयावह है और युवा वर्ग इससे ज्यादा ग्रसित है ,जिसका परिणाम यह हुआ है की व्यक्ति का निजी जीवन तनाव ग्रस्त हुआ है और युवा समाज की दिशा विघटित हुई है । भारत मे व्यापक पैमाने पर प्रचलित विविध नियमों और कानूनों को सशक्त तरीके से लागू करने की आवश्यकता है । सामाजिक जागरूकता और उचित उपचार से ही व्यसनी को व्यसन से मुक्त किया जा सकता है ।

**संदर्भ :**

- 1 <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1575882>
- 2 [https://hi.wikipedia.org/wiki/नशीली दवा का सेवन](https://hi.wikipedia.org/wiki/नशीली_दवा_का_सेवन)
- 3 <https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/rampur/> नशा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकार है
- 4 [https://www.bhaskar.com/news/नशीले पदार्थ की रोक का कानून कैसे काम करता है](https://www.bhaskar.com/news/नशीले_पदार्थ_की_रोक_का_कानून_कैसे_काम_करता_है)
- 5 <https://www.jagran.com/blogs/pankaj/> नशे की बढ़ती सामाजिक स्वीकृति
- 6 <https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/> (14 Jan 2021)